न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 822 सन 2020

अनवान :–

1. कृष्णा चौधरी पुत्री आशाराम पत्नी महेन्द्रसिह जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा हाल सुल्तान नगर दिल्ली।

वादीया

बनाम

1. आशाराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा ।
2. सजनादेवी पत्नी आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा ।
3. ओमप्रकाश पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा ।
4. दयाराम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा ।
5. लिलाधर पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा ।
6. बलवान पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा ।
7. सन्तोष पुत्री आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 152/152 की कुल 5.920हैक में से 1973/2960 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज जो पैतृक भूमि है जो वर्तमान में वादीया की गाता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है।

वादीया प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की बहन है वादीया की शादी के समय उसकी माता/पिता बहन/भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादीया को वाद भूमि भेट के रूप में दी गई थी ताकि वाद भूमि की आय से भली प्रकार से अपना भरण पोषण कर सके अर्थात वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा वादीया के पक्ष में तर्क कर दिया था जिसके कारण वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया शादी के बाद वाद भूमि को काश्त करती /करवाती आ रही है और वाद भूमि की आय से परिवार का भरण पोषण कर रही है।

वादीया को प्रतिवादी संख्या 2 की गाता ने भेट स्वरूप दी गई भूमि वादीया के नाम से दर्ज ना होकर वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीया की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीयो खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

है जो पैतृक सम्पति है जिसमें वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 का प्रतिवादीया संख्या 2 के साथ बराबर हक हिस्सा है वादीया के भाई /बहन /माता /पिता ने वादीया की शादी के समय भेट स्वरूप वाद भूमि वादीया को दी गई थी ताकि वादीया अपनी शादी शुद्वा जीवन अच्छी तरह से यापन कर सके इसलिये वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 152/152 की कुल 5. 920हैक में से 1973/2960 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज जो पैतृक भूमि है जो वर्तमान में वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है।

वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य खातेदारी भूमियो की आय से वाद भूमि वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात वादीया के पूर्वज सहीराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादीया प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की बहन है वादीया की शादी के समय उसकी माता/पिता बहन/भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादीया को वाद भूमि भेट के रूप में दी गई थी अर्थात वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा वादीया के पक्ष में तर्क कर दिया था जिसके कारण वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 152/152 की कुल 5.920हैक में से 1973/2960 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पूर्वज सहीराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य खातेदारी भूमियो की आय से वाद भूमि वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात वादीया के पूर्वज सहीराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुख्या के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादीया का कथन है प्रतिवाादी संख्या 1 ता 7 वादीया के पिता /माता /भाई/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में वादीया की शादी के समय किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने वादीया की शादी में वाद भूमि वादीया को दी जा चुकी है अर्थात अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 152/152 की कुल 5.920हैक में से 1973/2960 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कृष्णा चौधरी पुत्री आशाराम पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा हाल सुल्तान नगर दिल्ली।

वादीया

बनाम

1. आशाराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा ।
2. राजनादेवी पत्नी आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा ।
3. ओमप्रकाश पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा ।
4. दयाराम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा ।
5. लिलाधर पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा ।
6. बलवान पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा ।
7. सन्तोष पुत्री आशाराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 822 सन 2020 निर्णय दिनांक- 13/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 152/152 की कुल 5.920हैव में से 1973/2960 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner